



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

003042




विज्ञापन विज्ञापन

निम्न मूल्य : रु० ५,५०,०००/-
 साक्ष्य मूल्य : रु० ५,७०,०००/-
 स्थापन मूल्य : रु० ५५,०००/-
 परगना : मिर्जापुर

यह विज्ञापन विज्ञापन शिव मरोसे, महादेव, विशम्भर,
 विशम्भर शिवानी नाबालिका पुत्रगण स्व० राम चन्द्र द्वारा संरक्षित
 माता श्रीमती सुन्दारा व स्वयं श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व० राम
 चन्द्र निवासी-मुजफ्फर नगर प्रखण्ड, परगना मिर्जापुर, ताहसील



दिनांक २०/०५/२०२०



श्रीमान् श्री. ...
...
...
...

...

...

...

...

...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0030/55


- 2 -

य जिला लखनऊ जिल्हे आगे विक्रतागण कहा गया है, एवम् आशापाल पुत्र बली निवाली-ग्राम भिजापुरागिटारी, पोस्ट-नीगाँव, जिला फतेहपुर, जिसे आगे जेला कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रतागण भूमि खण्डा 234 कुल रुकबा 0.342 हेक्टर पर स्थित ग्राम मुखफर नगर धुसवल, पहाजा-पिजनीर, तरसील व जिला, लखनऊ मालिक, कामिल व काबिल है तथा उपरोक्त सहायित वटवार्मिक खाता खतीनी क्रम संख्या 234 को

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 [Circular Stamp]



अनुसार आदेश दिनांक 29.11.2004 द्वारा मूलक राम चन्द के स्थान पर राम मरोसे, मरादेव, विशम्भर, पितम्बर नाथलिंग आच्य क्रमशः 14, 12, 10, 8 वर्ष सरदेसा खिस्ती सुन्दास व श्रीमती सुन्दारा पत्नी राम चन्द का नाम वकील जालिम लई है। विवेकागम से नाम का अन्त वहागद राज्य जमिलेखों में ही गया है। विवेकागम अपना सम्पूर्ण जित्ता जेता को इत गिल्या जिलेअ द्वारा गिल्या कर का है विवेकागम जमिलेख सम्पूर्ण भूमि की मालिक, कानिअ व कानिअ है एवं वर्तमान समय में जल भूमि

राम चन्द

राम चन्द



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



44479

- 4 -

कृषि भूमि है, और यह कि निवेशक यह भी पता है कि उपरोक्त भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं फसल पैदा करने योग्य है तथा निवेशक ने उसे इस प्रकार के पूर्ण कर्ज से, सिंचाई, बिजली या अनुसंधान इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्रवाई के अधीन निवेश का वस्तु विषय नहीं है, न ही कर्ज इत्यादि है। निवेशक के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं निवेशक को उक्त निवेश

₹ 1000/-

₹ 1000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

अन्वयण पत्रों का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अन्वयण पत्रोंका सहयोगी के फलस्वरूप रु० 5,40,834/- (अर्थात् पांच लाख चालीस हजार रु० एी बीस हजार रुपये) के प्रतिफल में वित्तका कि अर्पणक सेवा द्वारा विशेषागम की इस वित्तका के अन्त में ही गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुक्तान कर दिया गया है एवं वित्तकी मासिक की विशेषागम नहीं अधिकार करते हैं, तदनुसार उक्त विवेकागण उक्त सेवा के द्वारा अर्पणक वर्णित भूमि, वित्तका विवरण इस विवेक वित्तका के अन्त में अनुसूची के अर्थात् दिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

गता है, जो शर्तें बंध दिया है, एवं निरालायन के विकल्पशुदा भुक्ति का मौके पर कसबा प्रजा को बधुनी कर दिया गया है। अब उक्त आराजी पर निरालायन तथा उसके आदिमान का कोई अधिकार नहीं है। निरालायन के विकल्पशुदा समिति को अपने स्वाधिकार से समस्त अधिकारों से साथ पूर्णतया व इधेना के लिए सेवा को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केना विकल्पशुदा समिति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने समस्त स्वाधिकार व अधिकार व कर्तव्य से समिति के रूप में वाहन एवं उभनीय व उभनीय करने।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44142

विक्रययोग उसमें किसी प्रकार की अड़मन बाधा नहीं आने लखेंगे
 एवं न ही कोई मांग कर सकेगी। और यदि विक्रययोग सम्पत्ति
 अथवा कोई भाग विक्रययोग के स्वामित्व में जुटने के कारण या
 पत्नी अड़मन या कानूनी जुटने के कारण मेंला या उसके
 वारिसान निष्पादयोग इत्यादि के कब्जे या अधिपत्य या माल से
 निकल जाते तो केला उसके वारिसान, निष्पादयोग इत्यादि को
 यह हम होगा कि वह अपना समस्त मुकदमन मरु हर्जा व खर्चा,
 विक्रययोग की वधि अथवा सम्पत्ति से नदिले अदालत परसुल कर

२०००/००
 २०००/००



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



तः। उस स्थल में विक्रीलाभ एवं उसके बहिस्तान तना व कना
 देने हेतु बाल्य होगा।

यह कि जेता विक्रीलाभ सम्पत्ति की दक्षिण दायित
 राज्यस्व अगिलेकी में अपने नाम दना वना तः तो विक्रीलाभ को
 कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विवेक को पूर्ण का
 अन्त कोई बमला गिरी लरु का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो
 उसको विक्रीलाभ भुगतान व बहन करेगी, विक्रीलाभ को कोई
 आपत्ति न होगी।

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the document.

यह कि उपरोक्त कसता नम्बर कास हुजपानर नगर पुत्रवल,
 अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट काम के अन्तर्गत आता है इसलिये
 निर्धारित सरकारी रेट रू० ११,००,०००/- प्रति हेक्टर के हिसाब
 से विक्रीत भूमि ०.३४२ हेक्टर की भावियत रू० ३,७६,२१०/-
 होती है. चूँकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है
 इसलिये नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० ५४,३००/- करदात
 करान्न अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि
 के उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ,
 तालाब, न निर्माण आदि नहीं है. तथा २०० मी० के अर्धवृत्ता में
 कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व
 जनपथीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि दुल्हानपुर रोड से
 लगभग ३० किलोमीटर व लहीदरघ से ३० मीटर से अधिक दूरी
 पर स्थित है। किलेरागण व अंता केना अनुसूचित जाति के सदस्य






 जिला अधिकारी

है। इस पत्रक विलेख के निम्न का समस्त खय अंश द्वारा
चलन किया गया है।

परिशिष्ट : विद्युत विद्युत्सूत्र सम्पत्ति का विवरण
ग्राम अक्षरा 234 कुल रकम 0.342 हेमटेअट लिमिटेड भाग
मुजफ्फर नगर धुलवल, पटना-बिजनौर, लखीम न जिला,
बलनकः तिलसी चौहद्री निज है।

अक्षरा नं 234

अक्षर : अक्षरा संख्या-232

दक्षिण : अक्षरा संख्या-235, 236

पुष्ट : अक्षरा संख्या-233, 236, 238

परिवगः अक्षरा संख्या-214

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विवेकागण ने रक 5,00,000/- (सपडा पांश सान्ध मात्र)
द्वारा बैंक संख्या- 455024 दिनांक 12.08.2008,
पंजाब नेशनल बैंक अंश ले प्राप्त किये।
2. विवेकागण ने रक 40,634/- (अथवा चालीस हजार छः
सी बीतीस मात्र) द्वारा बैंक संख्या- 455056 दिनांक
12.08.2008, पंजाब नेशनल बैंक अंश ले प्राप्त किये।

10/8/08
[Signature]

[Signature]
[Signature]

कुल लिखा मूल्य विभागाग को रु० 5.40,834/- लिखा
मांक लाख बालीस हजार छः सौ बीसवा लक्षका केला से प्राप्त
हुए तथा लिखनी प्राप्ति विभागाग स्वीकार करते हैं।

लिखना वह विवरक पत्र इस विभागाग ने प्रेला को पत्र में
सम्बन्ध सम्बन्ध बिना किसी और दवाव के, व सम्बन्ध बिना व मन
की दशा में लिख दिवा ताकि सम्बन्ध रहे और आवश्यकता पडने पर
काम आये।

लखनऊ

दिनांक 12.05.2008

पडाक

1. एक वि० अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

दाइकता
(गाम सनेही)

विभागाग
अन्तर्गत अन्तर्गत

विभागाग
अन्तर्गत अन्तर्गत


सेला

मलविदावर्ता
(विपद अन्तर्गत-सिंह)
एम्पाकेट

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਿਸਟਰ

ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ - 24
ਕਮਰ - 2




ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ


शुद्धि-प्रयोग अधिनियम 1908 की धारा - 32 दूरी के अनुपालन हेतु,
 फिंक्स प्रिन्टर्स

संस्थापक/संस्थापिका का नाम व पता -

किसी हस्त की छाप/छापों के लिए -




संस्थापक/संस्थापिका का पता -




संस्थापक/संस्थापिका का नाम व पता -

किसी हस्त की छाप/छापों के लिए -



संस्थापक/संस्थापिका का पता -



संस्थापक/संस्थापिका का पता -

Handwritten signature or mark.

आम्र नं० 12-6-06
आम्र नं० 3-7-06
आम्र नं० 3-7-06
आम्र नं० 3-7-06

आम्र नं० 3-7-06
आम्र नं० 3-7-06

